राजस्व अपील संख्या 36/2019

अनवान

कानी वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसिया वगैरा

दिनांक 19—04—2022

अपीलान्ट अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने आज उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र नियत तिथी से पूर्व अपील की आवश्यक सुनवाई करने बाबत प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति रेस्पो0 अधिवक्त को दी जाकर पत्रावली आज पेशी पर ली गई । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया ।

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित आदेश कमांक/सम/कोर्ट/2018/ 806—807 दिनांक 20—7—2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की हुई है। प्रस्तुत अपील मे रेस्पो0 के सम्मन जारी होने पर रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवल सिह दहिया एवं रेस्पो0 संख्या30 की ओर से श्री रामगोपाल अधिवक्ता उपस्थित । शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर अपीलांट अधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया एवं रेस्पो0 अधिवक्ता श्री रामगोपाल की बहस सुनी गई ।

वकील अपीलांट का मुख्य कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ओसियां के प्रार्थना पत्र को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 136 के तहत स्वीकार करने तथा अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त करके उनके खातेदारी के रकबे को कम करके गै.मु. रास्ते के रूप मे दर्ज करने बाबत पारित किया गया आदेश विधिक प्रावधानो के विपरीत तथा त्रुटिपूण होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने अपनी बहस के दौरान धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त धारा 136 मे केवल राजस्व अभिलेख मे दर्ज प्रविष्टि को आगे की जमाबंदी मे अंकन करते समय हुई भूल को दुरस्ती करने का आदेश दिया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि खातेदारान की खातेदारी भूमि पर से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदारी के अधिकारो को समाप्त नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ ... बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का

निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदा भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि रकबा कम नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारि अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विवरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्रों को अनदेखा करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो के संबंध मे चलाये गये अभियान के तहत ऐसे रास्ते जो मौके पर जन उपयोग के लिए चालू है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे अंकन नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर उनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बंध मे जारी परिपत्र की पूर्ण पालना की गई हे। प्रशासन गावो के सग अभियान मे रास्ते सम्बधी समस्याओ का अधिक से अधिक समाधान करने की सरकार की मंशा होती है जिससे आम जनता को आवागमन मे आसानी हो सके उसके अनुरूप ही कैम्पो मे रास्तो का निस्तारण किया जाता है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलान्ट की उक्त अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो0 संख्या 30 अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत, नियमो की अवहेलना करते हुए पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–7–2018 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रकट किये गये कथनो एवं धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का तथा राज्य सरकार के रास्तो के संबंध मे पारित परिपत्रों आदि का भी अध्ययन किया ।

नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का अवसर दिये तथा उनकी सहमति के बिना अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनकी खातेदारी भूमि मे गै0मु0रास्ता दर्ज दिया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुरूप नही होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अतः अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 20–7–2018 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्टगण खातेदारान को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करने तथा खसरा गिरदावरी मे भी रास्ते आदि का अंकन होने की जानकारी आदि कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित अपीलान्ट के खातेदारी ग्राम भीमसागर के खसरा नंबर 92/1 मे से रास्ते का रकबा 1.05 बीघा भूमि के सम्बध मे किसी तरह की कार्यवाही नही करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर